

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 17 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 11 / 01 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. रणवीर सिंह राजपूत पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत, उम्र 35 वर्ष।  
निवासी : न्यू बिहार कॉलौनी हजीरा ग्वालियर, जिला—ग्वालियर, (म.प्र.)।  
..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 05 / 10 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी रणवीर पर धारा :- 279 एवं 337 “02 काउण्ट” भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी परशुराम एवं आहत लायकराम को टक्कर मारकर उन्हें कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी परशुराम एवं आहत लायकराम में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी परशुराम द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/14 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी परशुराम, आहत लायकराम एवं साक्षीगण संतोष एवं कमलेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रणवीर सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 "02 काउण्ट" भा. द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रणवीर सिंह ने दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी परशुराम एवं आहत लायकराम को टक्कर मारकर उन्हें कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी परशुराम अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/08/2016 से लगभग एक दो-ढाई वर्ष पूर्व की होकर शाम लगभग 06:00 बजे की पेट्रोल पम्प मौ के सामने लहार-स्यौड़ा लोकमार्ग की है। साक्षी आगे कहता है कि वह उस दिन अजय, दीपक, संतोष एवं ज्ञायवर लायकराम के साथ टाटा की छः टायर वाली गाड़ी से भूसा भरकर लेवर छोड़ने मौ से रूपावई गांव जा रहा था। साक्षी आगे कहता है कि पेट्रोल पम्प के सामने किसी डम्फर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि वह पीछे बैठा था, इसलिए उस डम्फर को कौन और कैसे चला रहा था, नहीं देख पाया था। पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा-मौका प्र. पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

भी फरियादी परशुराम अ.सा.01 ने आरोपी रणवीर द्वारा दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उसे एवं आहत लायकराम को टक्कर मारकर उन्हें कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी परशुराम अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

09. आहत लायकराम अ.सा.05, साक्षी संतोष माहौर अ.सा.02 एवं कमलेश कुशवाह अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी रणवीर द्वारा दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी परशुराम एवं आहत लायकराम को टक्कर मारकर उन्हें कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

10. डॉ. आर.विमलेश अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत लायकराम अ.सा.05 के मेडीकल परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रणवीर ने दिनांक :- 13/02/2014 को शाम लगभग 07:30 बजे पेट्रोल पम्प के पास स्यौड़ा रोड़ मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी परशुराम एवं आहत लायकराम को टक्कर मारकर उन्हें कारित की।

### **अंतिम निष्कर्ष**

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रणवीर के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रणवीर को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 "02 काउण्ट" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

14. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2777 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी नरेश सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद